अनुसूची – 22

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 2010–11

1. वित्तीय विवरणिकाएँ

वित्तीय विवरणिकाएँ ऐतिहासिक लागत आधार के अधीन तैयार की जाती हैं और भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा प्रक्रियाओं और नीतियों की पुष्टि में होती हैं। ये विवरणिकाएँ अन्यथा उल्लिखित विनिर्दिष्ट को छोड़कर कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन अपेक्षित लेखा मानदंडों और सम्बद्ध प्रस्तुतीकरण अपेक्षाओं के अनुसार तैयार की गई हैं।

2. लेखा–विधि का आधार

आय और व्यय निम्नलिखित को छोड़ प्रतिभूति आधार पर लेखे में लिये जाते हैं जो रोकड़ आधार पर पहचाने जाते हैं–

क) खुली नीतियों पर अधिक बीमा – प्रीमियम की वसूली हेतु दावे
ख) अनुषंगियों को ऋणों और उन बिक्रियों/व्यापार वित्त के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज जिसकी प्राप्ति संदिग्ध है।
ग) निर्यात लाभ
घ) सरकारी खाते पर हैण्डल की गई मदों से प्राप्ति योग्य ब्याज
च) निवेश पर लाभांश

3. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणिकाओं के प्रस्तुतीकरण में अनुमान और आकलन किए जाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणिकाओं की तारीख पर परिसम्पत्तियों और देयताओं की रिपोर्ट की गई राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्वों और खर्चों की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के मध्य का अंतर उस अवधि में लिया जाता है जिसमें परिणामों का पता लगता है। वे वास्तविक रूप में होते हैं।

4. विदेशी मुद्रा में लेन–देन

क) विदेशी मुद्रा में किया गया लेन–देन सामान्यतया लेन–देन के समय की विद्यमान विनियम दर पर दर्ज किया जाता है।
ख) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्रा में की गई सभी अन्य आर्थिक मदें वर्ष के अंत की दरों पर ट्रांस्लेट की जाती हैं। उन आर्थिक मदों के मामले में जहाँ अंतिम दर अवास्तविक होती है, ट्रांस्लेशन दर का आकलन विगत की प्रवृत्ति और आशान्वित प्राप्ति/प्रतिपूर्ति पर किया जाता है।
ग) विदेशी मुद्रा में की गई स्थिर परिसम्पत्तियों के अलावा अन्य आर्थिक स्तर में लेन–देन की तारीख को विद्यमान विनियम दर पर दर्ज की जाती हैं। स्थिर परिसम्पत्तियाँ सदृश्य विदेशी मुद्रा देयता पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अन्तर द्वारा बढ़ी हुई/कम हुई के अनुसार लेन–देन की तारीख की विनिमय दर पर दर्ज की जाती हैं।
घ) निपटान या ट्रांस्लेशन पर विनिमय अन्तर के फलस्वरूप आय या व्यय लाभ और हानि लेखे में लिए जाते हैं। अग्रेनीत विनिमय संविदा पर प्रीमियम या छूट उन बिजनेस एसोसिएटों के आदेशानुसार लिए गए फारवर्ड कवर को छोड़कर फारवर्ड संविदा के अस्तित्व के संदर्भ में प्रो–रेटा आधार पर लेखे में ली जाती है जिन मामलों में प्रीमियम या छूट मैचिंग सिद्धान्तों पर फारवर्ड विनिमय संविदा के प्रारंभ में लेखे किये जाते हैं चूँकि एसोसिएटों के साथ सदृश लेन–देन फारवर्ड दर पर आधारित किए जाते हैं।

5. स्थिर परिसम्पत्तियाँ

स्थिर परिसम्पत्तियाँ ऐतिहासिक लागत घटा संचित मूल्य–ह्रास पर ली जाती हैं।

6. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

अमूर्त परिसम्पत्तियों पर व्यय की गई लागत जो भविष्य के आर्थिक लाभों में परिणत हुई, अमूर्त परिसम्पत्तियों के रूप में मानी जाती है तथा पूंजीकरण की तारीख से प्रारंभ होकर प्रत्यक्ष लाइन पर परिशोधित की जाती है।

7. मूल्य–ह्रास और परिशोधन

भूमि के अतिरिक्त अन्य स्थिर परिसम्पत्तियाँ आकलित उपयोगी जीवन के तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दरों पर अधिग्रहण/विक्रय के महीने के संदर्भ में प्रो–रेटा आधार पर प्रत्यक्ष लाइन पद्धति मूल्य–ह्रास लिये जाते हैं जो कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV में प्रदत्त के अलावा उनके समकक्ष या उनसे ऊपर होते हैं। पट्टाधारी भूमि पर प्रीमियम लीज़ की अवधि पर परिशोधित किए जाते हैं। वर्ष के आरंभ में रुपए 5000/– तक की लागत/रिटन डाउन मूल्य की परिसम्पत्तियाँ रुपए 1 का सामान्य मूल्य रखते हुए 100 प्रतिशत पर मूल्य–ह्रास की जाती हैं।

कम्पनी द्वारा अपनाई गयी मूल्य–ह्रास की दरें निम्न हैं–

परिसम्पत्तियाँ		कम्पनी द्वारा एसएलएम आधार पर अपनाई गयी दरें	कम्पनी अधिनियम 1956 (एसएलएम) की अनुसूची XIV के अनुसार दरें
1.	भवन – फैक्टरी भवन	3.34%	3.34%
	– फैक्टरी भवन के अलावा	2.50%	1.63%
2.	सड़क, पुलिया, सीवर और जल आपूर्ति प्रणाली	2.50%	1.63%
i)	रेलवे साइडिंग	12.5%	4.75%
ii)	संयंत्र एवं मशीनरी	10%	4.75%
iii)	फर्नीचर फिटिंग्स	10%	6.33%
iv)	वातानुकूलित एवं कार्यालय उपकरण	12.50%	4.75%
v)	कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसर एवं संचार उपकरण	40%	16.21%
vi)	वाहन	20%	9.50%
vii)	माल–गोदाम	4%	1.63%
viii)	भूमि पट्टाधारिता	ओवर लीज अवधि	-
ix)	रुपए 5000/– तक खरीदी गई पूंजीगत मदें	100%	100%
x)	वर्ष के प्रारंभ में रुपए 5000/– तक की डब्ल्यू डी वी वाली परिसम्पत्तियाँ	100%	-

8. परिसम्पत्तियों की हानि

कोई परिसम्पत्ति हानि–शुदा तब मानी जाती है जब परिसम्पत्ति की वाहक लागत इसके वसूलीयोग्य मूल्य से अधिक हो जाती है तथा हानि उस वर्ष के लाभ और हानि लेखे में प्रभारित होती है जिसमें सम्पत्ति हानि के रूप में पहचानी गई है। पूर्व लेखा अवधि में पहचानी गई हानि वापिस ले जाई जाती है यदि वसूलीयोग्य राशि के अनुमान में परिवर्तन हुआ है।

9. निवेश

(i) दीर्घावधि निवेश लागत पर किए जाते हैं। दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में गिरावट होने पर अस्थायी के (अलावा) कैरिंग राशि गिरावट मालूम करने के लिए घटा दी जाती है।

(ii) चालू निवेश निम्नतर लागत और शुद्ध मूल्य पर किए जाते हैं।

10. माल–सूचियाँ

मालसूचियाँ निम्नतर लागत और निवल प्राप्ति योग्य मूल्य पर ली जाती हैं। लागत में मूल्यांकन के समय की स्थिति में स्टॉकों को लाने हेतु सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लागतें तथा प्रापण (स्व बीमा के तत्व को छोड़कर) शुल्कों, करों और उपकरों की लागत शामिल है। निवल प्राप्ति योग्य मूल्य सामान्य व्यवसाय प्रक्रिया में प्राप्ति योग्य अनुमानित लागत घटा बिक्री को पूर्ण करने हेतु व्यय की जाने वाली आगे की लागत है। निवल प्राप्ति योग्य मूल्य का आकलन उस राशि हेतु आकलन के समय उपलब्ध विश्वसनीय साक्ष्यों पर आधारित होता है जिन्हें माल–सूचियों में प्राप्ति की आशा की जाती है और कीमतों के उतार–चढ़ाव तथा अन्य उन तथ्यों को भी ध्यान में लेना पड़ता है जो प्राप्ति योग्य मूल्य को प्रभावित करते हैं तथा उस सीमा तक तुलन–पत्र की तारीख के पश्चात् होने वाली स्थितियों को भी प्रभावित करते हैं जो स्थितियाँ तुलन–पत्र तारीख पर विद्यमानता की पुष्टि करती हों।

11. बिक्री की लागत और बिक्रियाँ

क) खरीद और बिक्रियाँ अनुबंधों के निष्पादन पर ली जाती हैं।

ख) बिक्रियों की लागत और बिक्रियाँ अनुबंध में प्रदत्त सभी लागतों, संघटकों पर विचार करते हुए, और जैसा कि अनुबंध में प्रावधान किया गया है, आपूर्तिकर्ता के उधार पर आवधिक ब्याज सहित तथा चिह्नित तिथि तक एसोसिएटों को देय अधिशेष और व्यय किए खर्चे शामिल हैं।

ग) बैक टू बैक/त्रिपक्षीय/संयुक्त निष्पादन/तीसरी पार्टी व्यवस्थाओं के संबंध में खरीद और बिक्रियाँ कंपनी को उपार्जित निश्चित व्यापार मार्जिन हेतु समायोजित व्यवसाय एसोसिएट द्वारा भेजे जाने वाले कागजातों के आधार पर बुक की जाती हैं।

घ) बिक्रियों में तीसरी पार्टी व्यवस्थाओं के अधीन सौदे और कंपनी के माध्यम से निर्यातों द्वारा पूरे किए जाने वाले प्रति व्यापार दायित्वों को शामिल किया जाता है।

च) सरकार की ओर से किए जाने वाले सौदों के मामले में (सरकारी उपहार/अनुदान योजना के अधीन परेषणों सहित) खरीद और बिक्रियाँ और उन पर आकस्मिक खर्चे या आय से संबंधित लेखा शीर्षों के अधीन किए जाते हैं। कंपनी को उपार्जित सेवा मार्जिन को समायोजित करने के पश्चात् सरकारी खाते के अधिशेष या हानि को क्रमशः बिक्रियों या व्यापार आय की लागत में समायोजित किया जाता है।

12. दावे

दावे लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किए जाते हैं यदि इनकी अंतिम वसूली से संबंधित कोई अनिश्चितता नहीं है। लाभ और हानि लेखे में स्वीकार किए गए दावे किन्तु बाद में जो संदिग्ध हो जाते हैं, लाभ और हानि लेखे के माध्यम से प्रदत्त किए जाते हैं।

13. स्व बीमा

कंपनी अपनी स्व बीमा योजना के अधीन चयनित आधार पर इसके द्वारा हैण्डल की गई कुछ मदों को कवर करती है। संबंधित दावों पर मदों के जोखिम को कवर करने हेतु प्राप्त किये गए प्रीमियम का अधिशेष और दावों के जोखिम को कवर करने हेतु बाह्य एजेंसियों को प्रदत्त पुनः बीमा प्रीमियम अन्य आय (व्यापार) शीर्ष के अधीन शामिल किया जाता है। असमाप्त जोखिमों के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और दावों को रिपोर्ट किए जाने पर खर्चे के रूप में लिया जाता है।

14. कर्मचारी लाभ

क. लघु अवधि कर्मचारी लाभ उस लेखा अवधि में इनकी बिना छूट की राशि में पहचाने जाते हैं जिसमें वे व्यय किए गए हैं।

ख. परिभाषित अंशदान योजना के अधिन कर्मचारी लाभ जिसमें भविष्य निधि शामिल है, योजना में अंशदान हेतु कंपनी की बिना छूट की देयता पर आधारित होते हैं। उन्हें एक अलग न्यास के माध्यम से प्रशासित एक निधि में प्रदत्त किया जाता है।

सेवानिवृत्ति लाभ

क) कम्पनी का भविष्य निधि एवं आनुतोषिक न्यास निधि में अंशदान और अवकाश नकदीकरण और अर्द्ध वेतन अवकाश के लिए देयता उपार्जित आधार पर प्रदान की जाती है। आनुतोषिक, अवकाश नकदीकरण और अर्द्ध वेतन अवकाश वर्ष के अंत में किये गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित किए जाते हैं।

ख) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अधीन सेवा–निवृत्ति लाभ उसी वर्ष में बट्टे खाते लिखे जाते हैं।

ग) सेवा निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा लाभ की देयता वर्ष के अन्त में एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

(घ) अन्य दीर्घावधि लाभ – जैसे दीर्घावधि सेवा पुरस्कार वर्ष के अंत में किये जाने वाले वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर सुनिश्चित किये जाते हैं।

15. संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान

देनदार, ऋण और पेशगियाँ जहाँ संदिग्ध समझी गई हैं, उनके लिए पूर्णतया प्रावधान किया जाता है।

16. आरक्षित

क) विनिमय उतार–चढ़ाव आरक्षित, भविष्य की हानियाँ यदि कोई हो, को पूरा करने के लिए एक ओर किए गए कोष कार्यों पर विनिमय उतार–चढ़ाव प्राप्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ख) निर्यात/आयात आकस्मिक आरक्षित का निर्यात/आयात कार्यों की अदृष्ट हानियों को पूरा करने हेतु लाभों में से विनियोजन किया जाता है।

17. प्रदर्शनियाँ एवं मेले

भारत और विदेशों में विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों हेतु अर्जित नमूनों व अन्य मदों की लागत उस वर्ष राजस्व में ली जाती है जिसमें इसे व्यय किया जाता है।

18. सामान्य सेवाओं पर खर्चे

कम्पनी और इसकी अनुषंगियों के मध्य कुछ सामान्य सेवाओं के संबंध में खर्चों की वसूली सम्पन्न कारोबार अनुबंध/जनशक्ति के उपयोग पर आधारित होती है जैसा कि वसूल किए गए खर्चों की प्रकृति के उपयुक्त समझा जाता है।

19. ऋण लागत

ऋण लागत जो उस तारीख तक जबकि परिसम्पत्तियाँ उनके लक्ष्यगत प्रयोग हेतु तैयार हों, पात्र परिसम्पत्तियों के अर्जन या निर्माण पर आरोपन योग्य होती हैं, उनका प्रयोग इस प्रकार की परिसम्पत्ति की लागत के भाग के रूप में किया जाता है। सभी अन्य ऋण लागत उस वर्ष के खर्चे में ली जाती हैं जिसमें ये व्यय होती है।

20. आय पर कर

क) वर्तमान कर, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन निश्चित की गई कर योग्य आय के आधार पर लिये जाते हैं।

ख) आस्थगित कर समयगत अन्तर पर विवेक–पूर्वक विचार करने के अधीन लिया जाता है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ और देयताएँ उन कर दरों और कर नियमों का प्रयोग करते हुए आकलित की जाती है जिन्हें तुलन–पत्र द्वारा लागू किया जा चुका है या लागू किया गया है।

21. प्रचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह

व्यवसाय एसोसिएटों या कम्पनी द्वारा व्यापार अनुबंध के निष्पादन हेतु जिसमें आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में ऋण पत्र खोलने हेतु बैंक में स्थायी जमा हेतु पेशगियों का प्रयोग और उस पर ब्याज की वसूली/भुगतान शामिल है, प्रदान किए गए व्यापार वित्त से संबंधित रोकड़ प्रवाह अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रचालन गतिविधियों के भाग के रूप में लिए जाते हैं।

22. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

उन देयताओं हेतु प्रावधान पहचाने जाते हैं जिन्हें केवल अनुमान की एक महत्त्वपूर्ण डिग्री के प्रयोग द्वारा ही मापा जा सकता है यदि निम्नलिखित संतोषजनक है:–

i) विगत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कंपनी के पास वर्तमान दायित्व है।
ii) संसाधनों की एक संभावित प्रवाह द्वारा दायित्व के निपटान की आशा की जाती है।
iii) दायित्व की राशि विश्वसनीय रूप से अनुमानित की जा सकती है।

आकस्मिक देयता प्रदर्शित की जाती है यदि–

i) कंपनी के पास विगत प्रक्रिया के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है।
ii) संसाधनों के प्रवाह की संभावना दूर नहीं है।
iii) इस प्रकार के दायित्व का कोई विश्वसनीय अनुमान संभव नहीं है।

आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ न ही पहचानी जाती हैं न ही प्रदर्शित की जाती हैं।

प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ प्रत्येक की तुलनपत्र की तारीख को समीक्षा होती है।

चण्डोक एवं गुलयानी के वास्ते चार्टर्ड लेखाकार	ह./– **(एन.के. माथुर)** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	ह./– **(एन.के. निर्मल)** निदेशक (वित्त)
ह./– **(वी.के. लल्ला)** साझीदार सदस्यता सं. 80847	ह./– **(मनोज मिश्रा)** मुख्य महा प्रबन्धक (वित्त)	ह./– **(आर.के. गोगिया)** कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2011